भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1191

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2022

उत्तर प्रदेश में जनजातीय आबादी

†1191. श्री राजबहादुर सिंह:
डॉ रमापति राम त्रिपाठी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी:
श्री पी.पी. चौधरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 2011 की जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनजातीय आबादी का नवीनतम जिला-वार आकड़ा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय लोगों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल के तहत जनजातीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के लिए जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष जनजातीय केंद्रीय जनजातीय सहायता के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए कुल बजटीय व्यय का आंकड़ा हैं;

(ङ) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने जनजातीय आबादी को उनकी सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाने के लिए उन्हें कौशल प्रदान करने की दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो कुशल जनजातीय आबादी की वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ख): जनजातीय आबादी का डेटा महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत (आरजीआई) के कार्यालय द्वारा आयोजित 10 वर्षीय की जनगणना से लिया गया है। जैसा कि आरजीआई द्वारा सूचित किया गया है, 'जनगणना 2021' को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण आस्थगित कर दिया गया है। हालांकि, जनगणना, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की जिलेवार जनसंख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): इस मंत्रालय के पास 'ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासित जनजातीय लोगों का राज्य-वार विवरण' उपलब्ध नहीं है। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित रोजगार और बेरोजगारी और प्रवासन विवरण पर एनएसएस के 64वें दौर (2007-08) के दौरान

आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, जनजातियों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रवास का अनुमानित प्रतिशत 67.1 प्रतिशत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" (अब 'प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन' के तहत विलयित) नामक योजना लागू कर रहा है। योजना के तहत जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास में सहयोग देने के प्रयास किया जाता हैं, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला आदि के निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सहित वोकल फार लोकल को बढ़ावा देना शामिल है। इस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

'ट्राइफेड' जनजातीय उत्पादों के लिए अपने 119 आउटलेट्स के नेटवर्क के माध्यम से विपणन मंच प्रदान करता है और भीतरी जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों तक सीधी पहुंच और जनजातीय कला और शिल्प के स्रोत तक सीधी पहुंच के लिए जिला/तहसील स्तर पर जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम) का आयोजन भी करता है। 'आदि महोत्सव'- नामक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव जनजातीय कला और शिल्प, जनजातीय चिकित्सा और चिकित्सकों और आदिवासी व्यंजनों, जनजातीय शिल्प प्रदर्शनों और जनजातीय लोक प्रदर्शन और बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है। 'ट्राइफेड' ने अपना स्वयं का ई-कॉमर्स पोर्टल www.tribesindia.com भी स्थापित किया हुआ है और वह जनजातीय उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए अमेज़ॅन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और जेम जैसे सभी प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टलों पर भी मौजूद है।

दिनांक 10.04.2001 को स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से एक शीर्ष संगठन है। यह निगम, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

(घ) से (ङ): उत्तर प्रदेश राज्य को 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' योजना के तहत निर्मुक्त धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निधि के जिलेवार प्रावधान का विवरण केन्द्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्मुक्ति निधियां
2019-20	779.91
2020-21	508.83
2021-22*	0.00

*योजना को पीएमएवाई (प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना) के रूप में नया रूप दिया गया।

(च) से (छ): "वन धन विकास कार्यक्रम" "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" योजना के मूल्य श्रृंखला घटक का विकास है यह अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाइयों का लिए 'उद्यम पद्धति' अपनाने पर जोर देता है। प्रत्येक वीडीएसएचजी में 20 वन-निवासी शामिल हैं जो लघु वन उत्पादों के एकत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य करते हैं। क्षेत्र में वीडीवीके संगठन में एक अंतर्निहित ताकत बनाने के लिए परिकल्पित प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण,

ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में मानदंडों के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए 300 सदस्यों तक के प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में 15 ऐसे वीडीएसएचजी को शामिल किया गया है।
वर्ष भर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत वीडीवीके सदस्यों को कृषि, फूलों की खेती, औषधीय पौधों आदि जैसी अन्य गतिविधियों को करने की अनुमति है। वन धन विकास कार्यक्रम/वन धन योजना के शुभारंभ के बाद से, ट्राइफेड ने 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 9.63 लाख लाभार्थियों से जुड़े 3225 वीडीवीके को मंजूरी दी है। 'टेक फॉर ट्राइबल' पहल (इनिशिएटिव) के तहत, 'ट्राइफेड' ने वन धन लाभार्थियों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने अपनी ईएसडीपी योजना के तहत धन उपलब्ध कराया है।
इसके अलावा, 'ट्राइफेड' जनजातीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए ट्राइफेड से जुड़े जनजातीय लाभार्थियों को समय-समय पर कौशल उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी), डिजाइन कार्यशाला प्रशिक्षण (डीडब्ल्यूटी) और डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन सह उत्पादन कार्यशाला (डीटीपीडब्ल्यू) शामिल है।
इसके अलावा, कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों पूर्व शिक्षा को मान्यता (आरपीएल) के तहत जनजातीय उम्मीदवारों सहित देश भर के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देने के लिए अपनी प्रमुख योजना 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)' लागू कर रहा है।

वर्तमान में पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण यानी पीएमकेवीवाई 3.0 लागू किया जा रहा है। समग्र दृष्टिकोण के साथ पीएमकेवीवाई 3.0 एक मांग आधारित योजना है, जिसमें जिला स्तर की योजना के साथ कार्यान्वयन का मूलभूत स्तर है। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत जिला कौशल समितियों को स्थानीय मांग चिन्हित करने का कार्य सौंपा गया है, जिसके आधार पर जिले में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, पीएमकेवीवाई योजना के तहत मासिक यात्रा भत्ता और नियोजन के पश्चात (पोस्ट प्लेसमेंट) सहायता, कैरियर प्रगति सहायता आदि का भी प्रावधान है। पीएमकेवीवाई योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्तर प्रदेश/अखिल भारत	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षत उम्मीदवार
अखिल भारत	6,49,310
उत्तर प्रदेश	18,575

(30.06.2022 तक)

अनुलग्नक

"उत्तर प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या" के संबंध में श्री राजबहादुर सिंह, डा. रमापति राम त्रिपाठी, श्री बृजभूषण शरण सिंह, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी, श्री पी.पी. चौधरी द्वारा 25.07.2022 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. †1191 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जिलेवार जनसंख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या
1	सोनभद्र	385018
2	बलिया	110114
3	देवरिया	109894
4	कुशीनगर	80269
5	ललितपुर	71610
6	खेरी	53375
7	चंदौली	41725
8	गाजीपुर	28712
9	वाराणसी	28617
10	बलरामपुर	24887
11	मऊ	22915
12	मिर्जापुर	20132
13	गोरखपुर	18172
14	महाराजगंज	16435
15	सिद्धार्थनगर	12021
16	बहराइच	11159
17	आजमगढ़	9327
18	इलाहाबाद	7955
19	लखनऊ	7506
20	आगरा	7255
21	श्रावस्ती	5534
22	जौनपुर	4736
23	गाज़ियाबाद	3968
24	झांसी	3873
25	कानपुर नगर	3753
26	बस्ती	3620
27	मेरठ	3390
28	बरेली	3227
29	बिजनौर	3058
30	उन्नाव	2926
31	फिरोजाबाद	2565
32	गौतम बुद्ध नगर	2215
33	संत रविदास नगर (भदोही)	1873

क्र.सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या
34	रायबरेली	1756
35	पीलीभीत	1714
36	सीतापुर	1602
37	संत कबीर नगर	1593
38	मथुरा	1520
39	सहारनपुर	980
40	फैजाबाद	931
41	गोंडा	870
42	जालौन	832
43	कानपुर देहात	801
44	अम्बेडकर नगर	746
45	प्रतापगढ़	723
46	सुल्तानपुर	696
47	मुरादाबाद	685
48	महोबा	647
49	अलीगढ़	629
50	बाराबांकी	610
51	शाहजहांपुर	508
52	मैनपुरी	478
53	हमीरपुर	474
54	चित्रकूट	366
55	रामपुर	358
56	हरदोई	349
57	फतेहपुर	340
58	मुजफ्फरनगर	317
59	महामाया नगर	268
60	फर्रुखाबाद	230
61	बुलंदशहर	198
62	कौशाम्बी	193
63	इटावा	169
64	ज्योतिबा फुले नगर	164
65	बाँदा	163
66	औरैया	150
67	कांशीराम नगर	150
68	एटा	140
69	शाहजहांपुर	58
70	कन्नौज	15
71	बागपत	14

स्रोत: जनगणना 2011, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय (आरजीआई)

*****